भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1864
जिसका उत्तर शुक्रवार, 02 अगस्त, 2024 को दिया जाना है

व्यापक विधि पाठ्यक्रम

1864. श्री दुष्यंत सिंह :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार संपूर्ण देश में विधि पाठ्यक्रमों की निगरानी कर रही है, ताकि पाठ्यक्रम में उभरते क्षेत्रों का व्यापक समावेश सुनिश्चित किया जा सके तथा विधि पाठ्यक्रमों को अधिक व्यावहारिक बनाने के लिए कदम उठाए जा सकें ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार वरिष्ठों के अधीन कार्य करने वाले छात्रों अथवा विधि स्नातकों को निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार अनिवार्य वृत्तिका देने की कोई नीति बना रही है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ङ) क्या सरकार ने भारत में घटिया विधि महाविद्यालयों के प्रसार को रोकने तथा देश में विधि शिक्षा और पेशे की गुणवत्ता और उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया को तत्काल और प्रभावी उपाय करने का निदेश दिया है ; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत वर्ष के दौरान निर्धारित मानकों का पालन नहीं करने वाले महाविद्यालयों पर की गई-कार्रवाई का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 7(1)(ज) और (झ) के उपबंधों के अनुसार, भारतीय विधिज्ञ परिषद को, अन्य बातों के साथ-साथ, देश में विधिक शिक्षा के संवर्धन और उसके मानकों को अधिकथित करने का कार्य सौंपा गया है । विधिक शिक्षा नियम, 2008, भारत में विधिक शिक्षा के लिए अनिवार्य न्यूनतम मानक तथा अपेक्षाएं अधिकथित करता है । भारतीय विधिज्ञ परिषद ने सूचित किया है वह यह सुनिश्चित करने के लिए पाठ्यचर्या का आवधिक रूप से पुनर्विलोकन और अद्यतन करती है कि यह सुसंगत और बोधगम्य रहे तथा यह विधि व्यवसाय की परिवर्तनशील आवश्यकताओं को पूरा करे ।

भारतीय विधिज्ञ परिषद् ने विधि स्कूलों को विधि के उभरते हुए क्षेत्रों, जैसे बौद्धिक संपदा विधि, साइबर विधि और पर्यावरण विधि को अपनी पाठ्यचर्या में सम्मिलित करने के लिए प्रोत्साहित किया है । विधि पाठ्यक्रमों को अधिक व्यवहारिक बनाने के लिए भारतीय विधिज्ञ परिषद् ने नैदानिक विधि शिक्षा की भी शुरुआत की है, जिसमें छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे इंटर्नशिप, विधि सभाओं तथा विधिक

सहायता क्लिनिकों में भाग लें । इससे छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करने तथा वास्तविक लोक व्यवस्थापन में अपने कौशल का विकास करने में सहायक होता है । माननीय प्रधान मंत्री के विजन के अनुसार, भारतीय विधिज्ञ परिषद् ने सभी विश्वविद्यालयों और विधिक शिक्षा केंद्रों को उनकी पाठ्यचर्या में ब्लॉक चेन, इलैक्ट्रानिक खोज, साइबर सुरक्षा, रोबोटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और जैव-नैतिकता, आदि जैसे विषयों को समाविष्ट करने के लिए परिपत्र जारी किया है । हाल ही में समाविष्ट की गई तीन दांडिक विधियों, अर्थात् भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 को पाठ्यचर्या में सम्मिलित करने के लिए भी अपेक्षित परिपत्र जारी किया गया है । कुल मिलाकर, भारतीय विधिज्ञ परिषद् को इस बारे में जानकारी है कि भारत में विधि पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्या बोधगम्य, व्यावहारिक और विधिक व्यवसाय की आवश्यकताओं से सुसंगत बनी रहती है और यह सुनिश्चित करती है कि स्नातक समकालीन विधिक चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए सुसज्जित है ।

(ग) और (घ) : यद्यपि, भारतीय विधिज्ञ परिषद् भारत में विधि व्यवसाय का निरीक्षण करती है, किंतु यह अधिवक्ताओं और ज्येष्ठ अधिवक्ताओं के लिए फीस का अवधारण नहीं करती है । अत:, कनिष्ठ अधिवक्ताओं को वृत्तिका प्रदान करने का विषय बिल्कुल ही व्यष्टिक अधिवक्ताओं और ज्येष्ठ अधिवक्ताओं के विवेक पर होता है । भारतीय विधिज्ञ परिषद् ने यह और सूचित किया है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने सिमरन कुमारी बनाम बीसीआई और अन्य [रिट याचिका (सी)10159/2024] के मामले में तारीख 25 जुलाई, 2024 के आदेश द्वारा यह निदेश दिया है कि अधिवक्ताओं और ज्येष्ठ अधिवक्ताओं द्वारा भाड़े पर लिए गए कनिष्ठ वकीलों को न्यूनतम वृत्तिका के संदाय के बारे में अभ्यावेदनों पर विचार किया जाए ।

(ङ) और (च) : भारतीय विधिज्ञ परिषद्, एक विनियामक निकाय के रूप में विधिक शिक्षा के मानकों को बनाए रखती है । भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों को अनेक परिपत्र जारी किए गए हैं कि वे नए विधि महाविद्यालयों को अनापत्ति प्रमाणपत्र और संबद्धता प्रदान करने से पूर्व, उनके आवेदनों की ध्यानपूर्वक संवीक्षा करें । यदि किसी विधि शिक्षा केंद्र (सीएलई) की ओर से कोई खामी पाई जाती है तो संबद्धता अनुमोदित नहीं की जाएगी । नए महाविद्यालयों और विद्यमान केंद्रों में अतिरिक्त अनुभागों को अनापत्ति प्रमाणपत्र और संबद्धता प्रदान करने का स्थगन, तारीख 11.08.2019 के संकल्प द्वारा जारी किया गया था, जिसे तत्पश्चात् पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा तारीख 04.12.2020 के आदेश द्वारा उलट दिया गया था । भारतीय विधिज्ञ परिषद् ने ऐसे विधिक शिक्षा केंद्रों की पहचान करने के लिए उच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का भी गठन किया है, जो अवसंरचनात्मक, संकाय, पुस्तकालय को और उनकी जानकारी के बिना इन विधि शिक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण करके, जो विधिक शिक्षा के नियमों की अन्य अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं कर रहे हैं । उच्च शक्ति प्राप्त औचक निरीक्षण समिति की रिपोर्ट के आधार पर, भारतीय विधिज्ञ परिषद्, विधि शिक्षा केंद्रों (सीएलई) का गहन निरीक्षण करती है । इसके अतिरिक्त, मानक को पूरा न करने के आधार पर अनेक विधि शिक्षा केंद्रों को शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए छात्रों को प्रवेश देने से वर्जित किया गया है । भारतीय विधिज्ञ परिषद् ने दिसंबर, 2023 में विधि शिक्षा पोर्टल भी आरंभ किया है, जिसमें इन विधि शिक्षा केंद्रों द्वारा की गई असंख्य अनियमितताएं पाई गई हैं, जिनमें भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा कठोर कार्रवाई की जानी है ।

****